www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 11 नवंबर 2019

दैनिक जागरण

समस्या कितनी भी विकराल क्यों न हो उसका समाधान अवश्य होता है

# अयोध्या और राजनीति

यह देखना सुखद है कि अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय के बहुप्रतीक्षित फैसले को देश ने धैर्य के साथ स्वीकार किया और कहीं पर भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जो चिंता का कारण बने। पूरे देश को प्रभावित करने वाले एक बड़े फैसले पर आम जनता का ऐसा संयमित आचरण उसकी परिपक्वता को ही रेखांकित करता है। इस परिपक्व आचरण की सराहना की जानी चाहिए-इसलिए और भी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के फैसले को उन्होंने भी स्वीकार किया जो अयोध्या में मस्जिद निर्माण के पक्ष में पैरवी कर रहे थे। निःसंदेह यह देखना भी सुखद है कि अयोध्या मसले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को करीब-करीब सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी स्वीकार किया। इनमें वे दल भी हैं जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग का न केवल विरोध किया करते थे, बल्कि ऐसी मांग के समर्थकों के तिरस्कार का कोई मौका भी नहीं छोड़ते थे। अब अगर ऐसे दलों के स्वर बदले हुए हैं तो इसका अर्थ यही है कि उन्हें यह आभास हो गया कि अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो, यह आकांक्षा केवल कुछ धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों की ही नहीं, बल्कि व्यापक हिंदू समाज की थी। दुर्भाग्य से इस आकांक्षा की न केवल अनदेखी की गई, बल्कि उसका उपहास भी उड़ाया गया। इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण की मांग को खारिज करने को एक तरह का सेक्युलर दायित्व बना दिया गया। इसी के साथ मस्जिद के स्थान पर प्राचीन राम मंदिर होने का उल्लेख करने वालों को भी निंदित किया जाने लगा। सबसे दुर्भाग्य की बात यह रही कि इस काम में खुद को इतिहासकार कहने वाले लोग भी शामिल हो गए। इन इतिहासकारों की ओर से अयोध्या में राम मंदिर होने के अलावा अन्य सब कुछ होने के विचित्र और हास्यास्पद दावे किए जाने लगे। ऐसे ही दौर में जब भाजपा ने खुद को अयोध्या आंदोलन से जोड़ा तो स्वयं को सेक्युलर-लिबरल कहने वाले नेताओं और विचारकों ने उसे लांछित करना शुरू कर दिया। उनकी ओर से ऐसा प्रचारित किया जाने लगा मानो समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं से जुड़े किसी मसले को उठाना कोई संगीन राजनीतिक अपराध हो। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुलकर पैरवी करने के कारण भाजपा को राजनीतिक रूप से अछूत तो बनाया ही गया, उस पर यह आरोप भी मढ़ा गया कि वह अयोध्या पर राजनीति कर रही है। यह आरोप उछालने वालों ने इसकी अनदेखी करने में ही अपनी भलाई समझी कि अयोध्या के विवादित स्थल पर मस्जिद निर्माण की उनकी पैरवी वोट बैंक की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं थी। यही कथित सेक्युलर राजनीति अयोध्या मसले को आपसी बातचीत से हल करने में बाधक बनी। इसी राजनीति ने एक ऐसा माहौल बनाया कि न्यायपालिका को अयोध्या विवाद को हल करने को प्राथमिकता देने से बचना चाहिए। ऐसा तब था जब भाजपा की ओर से यही कहा जा रहा था कि न्यायपालिका सदियों पुराने इस विवाद को जल्द सुलझाए। भाजपा इसके लिए भी सक्रिय रही कि आपसी बातचीत से इस विवाद का समाधान हो जाए। इसमें किन दलों की ओर से कैसे अड़ंगे लगाए गए, यह किसी से छिपा नहीं।

**आज यदि लगभग सभी विपक्षी दल अयोध्या फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो इससे उनकी पुरानी भूल ही रेखांकित हो रही है**

इससे इन्कार नहीं कि 1992 में विवादित ढांचे का ध्वंस एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हैरत नहीं कि उच्चतम न्यायालय ने इस घटना को आपराधिक कृत्य कहा। उसने विवादित परिसर में मूर्तियां रखने को भी गलत ठहराया, लेकिन इन कृत्यों से यह तथ्य ओझल नहीं होता था कि मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। आखिरकार यही साबित हुआ कि ये तथ्य सही थे। इसमें दोराय नहीं कि विवादित ढांचे के ध्वंस ने देश पर गहरा असर डाला, लेकिन उन राजनीतिक दलों के रवैये में कोई खास फर्क नहीं आया जो भाजपा को सांप्रदायिक घोषित कर सेक्युलर राजनीति करने का दम भरते थे। विवादित ढांचे के ध्वंस के बाद भाजपा अपने चुनाव घोषणा पत्रों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग का समर्थन करने तक सीमित रह गई। इसके अतिरिक्त उसके नेताओं की ओर से जब-तब यह यह कह दिया जाता था कि अयोध्या उनके एजेंडे में है। जब ऐसे बयान आते तो विपक्षी दल उस पर सांप्रदायिकता फैलाने की तोहमत मढ़ते और जब भाजपा किन्हीं खास मौकों पर राम मंदिर निर्माण की मांग का जोर-शोर से समर्थन करती नहीं दिखती तो उस पर ऐसे कटाक्ष किए जाते कि राम मंदिर निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दिखावटी है। ऐसे कटाक्ष यही प्रतीति कराते थे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात कोई दल कर सकता है तो केवल भाजपा ही। साफ है कि यदि अयोध्या पर राजनीति की गई तो भाजपा से अधिक उसके विरोधी राजनीतिक दलों की ओर से की गई। आज यदि लगभग सभी विपक्षी दल अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो इससे उनकी पुरानी भूल ही रेखांकित हो रही है। बेहतर हो कि इस भूल को स्वीकार कर यह समझा जाए कि राजनीतिक परिपक्वता के प्रदर्शन में ही सबका हित है।

# राम नाम की महिमा



हृदयनारायण दीक्षित

**श्रीराम का आख्यान भारत के गांव गली तक व्याप्त है। देश का वातायन राममय है। इसीलिए अदालती कार्यवाही पर भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की नजर लगी हुई थी**




आस्था भावविह्वल होती है। उस पर चोट बहुत सालती है। मन आशा और निराशा के बीच डोलता है। परिस्थितियां भले ही निराशाजनक हों, लेकिन आस्तिकता से आशा बनी रहती है। श्रीराम भारत की आस्था हैं। इतिहास के महानायक हैं। वह भारत का मन अंतरंग हैं। राष्ट्र के पौरुष पराक्रम के प्रतीक हैं। भारत का रोम-रोम 'राम-राम' में रमा हुआ है। मिले तो जय राम, अलग हुए तो राम-राम। संसार छोड़ें तो 'राम नाम सत्य'। भारत की श्रुति, स्मृति और काव्य का अंतस् हैं श्रीराम। देश के लगभग 70 प्रतिशत नागरिकों के नाम राम या रामकथा से जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि और तुलसी की कविता में राम नाम श्रेष्ठ है, वाणी का क्षीर सागर है। मन संकल्प हैं, ध्यान और विज्ञान भी हैं। वह भारत के धैर्य गुण राम का प्रसाद हैं। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का ध्वंस बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने 1528 में किया था। तबसे 491 साल हो गए। यह आस्था पर हमला था। फिर अंग्रेजीराज से मुकदमों का दौर चला। कोई 161 साल हो गए। आशा और धीरज जवाब दे रहे थे। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की प्रतीक्षा थी।

निर्णय की अधीरता के कारण सुस्पष्ट हैं। भारतीय श्रद्धा ने राम को अपने हृदय में बैठाया है, लेकिन वह इतिहास में हैं, भूगोल में भी हैं। डॉ. सत्यकेतु ने 'प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग' में लिखा है कि भारतीय ज्ञात इतिहास में मनु पहले राजा थे। इक्ष्वाकु उनके पुत्र थे। मनु और इक्ष्वाकु का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे। इनकी 19 पीढ़ी बाद राजा मांधाता हैं। उनके पुत्र पुरुकुत्स भी अयोध्या के राजा थे। इनके 11 पीढ़ी बाद हरिश्चंद्र। 41वीं पीढ़ी में सगर, 45वीं में भगीरथ। 60वीं में दिलीप और फिर दिलीप के पौत्र रघु। रघु के कारण ही श्रीराम रघुवंशी कहे गए। रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र दशरथ। फिर श्रीराम। आदिकवि वाल्मीकि ने 'रामायण' में इन्हीं श्रीराम के इतिहास को महाकाव्य बनाया। वाल्मीकि के राम मनुष्य हैं, मर्यादा में सर्वोत्तम हैं। आस्था में ब्रह्म हैं। तुलसी के श्रीराम ब्रह्म हैं। वह अवतार लेते हैं। लीला करते हैं। श्रीराम का आख्यान भारत के गांव गली तक व्याप्त है। वह भारत के कण-कण में हैं। भारत का वातायन राममय है। इसीलिए अदालती कार्यवाही पर भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की नजर टिकी हुई थी।

श्रीराम का चरित्र और व्यक्तित्व विश्वव्यापी है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम राम की व्यापकता है। संस्कृत और प्राकृत सहित दुनिया की अनेक भाषाओं में श्रीराम कथाएं हैं। चीन के लियो ताउत्स चिंग का कथानक वाल्मीकि रामायण से संबंधित है। चीन के उपन्यासकार ऊचेंग की 'दि मंकी हसी ऊचि' राम के समकालीन हनुमान की कथा है। इंडोनेशिया में रामकथा पर 'ककविन रामायण' है। थाइलैंड में 'रामकियेन' है। लाओस में 'फालाम' एवं 'पोमचाक' हैं। मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, फिलीपींस तक राम चरित्र की व्यापकता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तमिल में 'तिरुमगन रामायण' लिखी थी। अनुवाद उनकी पुत्री एवं गांधी जी की बहू लक्ष्मी ने किया था। राजाजी ने भूमिका में लिखा, 'सीताराम, हनुमान और भारत को छोड़कर हमारी कोई गति नहीं। रामकथा पूर्वजों की धरोहर है। हम आज इसी के आधार पर जीवित हैं।' यहां रामकथा ही राष्ट्रजीवन का प्राण है। डॉ. राममनोहर लोहिया ने लिखा, 'राम की पूर्णता मर्यादित व्यक्तित्व में है। उन जैसा व्यक्तित्व कहीं नहीं। न इतिहास में और न कल्पना में। राम समन्वय के प्रतीक हैं। न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक। राम आनंद सागर हैं-हिलोरें लेने वाला सागर नहीं। विश्रांत निष्पंद।' ऐसे में श्रीराम जन्मभूमि मुकदमे के फैसले को सुनने की चरम राष्ट्रीय जिज्ञासा स्वाभाविक ही थी।

न्यायिक इतिहास में निर्णय की ऐसी प्रतीक्षा का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उदारमना हिंदू मानस ने लगातार प्रतीक्षा की। सभी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक उपाय अपनाए। हाईकोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की। मसला सर्वोच्च न्यायालय गया। यह उत्सुकता और जिज्ञासा की पराकाष्ठा थी। बाबरी निर्माण का मकसद उपासना स्थल बनाना नहीं था। मध्यकालीन सत्ता ने आस्था को कुचलने के ढेर सारे काम किए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट 'कूवतुल इस्लाम' नाम की मस्जिद मंदिर सामग्री से बनी थी। इसका अर्थ इस्लाम की ताकत है। अजमेर में 'अढ़ाई दिन का झोपड़ा' एवं धार में भोजशाला मस्जिद के साथ औरंगजेब ने भी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के लिए ऐसे ही अपकृत्य किए थे। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नोल्ड टायनबी ने दिल्ली में कहा था, 'पोलैंड के वारसा पर रूसी अधिकार के समय कैथेड्रल बनाया गया था। यह कार्य रूसियों ने पोलिसों को यह अहसास दिलाने के लिए किया था कि अब उनके भाग्यविधाता रूसी हैं। 1918 में पोलैंड ने स्वतंत्र होते ही कैथेड्रल गिरा दिया। रूसियों का प्रयोजन राजनीतिक था। औरंगजेब का उद्देश्य भी यही था।' बाबर का मकसद भी यही था।

गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किया। रामराज्य का आदर्श रखा। रामराज्य की कल्पना में सभी अभिलाषाएं हैं। वाल्मीकि के अनुसार श्रीराम ने वनवास में मिलने गए भरत को अर्थविज्ञान का उपदेश दिया। राज्य व्यवस्था के तमाम सूत्र बताए। उन्होंने कहा, 'तब समय पर वर्षा होती है और सब तरफ समृद्धि-काले वर्षति पर्जन्यः सुभिक्षं विमला दिशः। न रोग, न पीड़ा, न अकाल मृत्यु।' तुलसी रामराज्य में समता का आदर्श रखते हैं-'राम प्रताप विषमता खोई।' रामराज्य में कोई दुखी नहीं। सब समृद्धि का हिस्सा पाते हैं। श्रीराम मंगल भवन हैं और अमंगलहारी हैं। कालिदास ने रघुवंश में राम के समय के इतिहासबोध की चर्चा की है कि विश्वामित्र ने श्रीराम को पुरावृत्त सुनाया था। भवभूति कालिदास और राजशेखर ने रामायण को इतिहास बताया है। बौद्ध जातकों में भी अयोध्या के इक्ष्वाकुवंशी मांधाता दशरथ एवं श्रीराम के उल्लेख हैं।

श्रीराम भारत के गौरवशाली इतिहास में हैं। सरयू का उल्लेख ऋग्वेद में है। अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद एवं तैत्तिरीय आरण्यक में है। यहां मनुष्य को नौ द्वारों वाली देवनगरी अयोध्या कहा गया है। अयोध्या का भाव अर्थ है अपराजेय। पुरातत्वविद् सांकालिया ने अयोध्या के आसपास के तमाम विवरण दिए हैं। अयोध्या और श्रीराम भारतीय इतिहास के सभी चरणों में हैं। राम की लौकिकता असंदिग्ध है और पारलौकिकता लोक आस्था की स्वीकृति। आस्था का जन्म और विकास प्रवाह 50-60 वर्ष में नहीं होता। श्रीराम के जन्म के सहस्त्रों वर्ष बीत गए। वाद हुए, प्रतिवाद हुए। खंडन-मंडन भी हुए। श्रीराम की कीर्ति विश्वव्यापी होती रही। तुलसीदास के विवरण में श्रीराम का नाम श्रीराम से भी बहुत व्यापक बीजमंत्र बना। ऐसे श्रीराम की जन्मभूमि का आहतकारी विवाद सैकड़ों वर्ष चला। इस दफा सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार 40 दिन सुनवाई की। परिणाम की प्रतीक्षा में भारत अधीर था। सारी दुनिया के हृदय स्पंदित थे। परिणाम आ गया है। अब लोकजीवन में उल्लास है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

# इतिहास से सबक लेने का समय



रामिश सिद्दीकी

**अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर उससे सही सीख लेकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जरूर बेहतर बनाया जा सकता है**



सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले से सदियों पुराने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझा कर देश में सांप्रदायिक सौहार्द की एक मजबूत नींव रख दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट स्थापित करने और मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का आदेश दिया है। देखा जाए तो यह विवाद हमारे समय के सबसे तल्ख मुद्दों में से एक था जिसका अब अंत हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुस्लिम समुदाय इससे सबक लेगा और सामाजिक सद्भाव कायम करने में आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाएगा। दरअसल 1947 में धर्म के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन तमाम गहरे जख्म छोड़ गया था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदू और मुस्लिम, दो ऐसे समुदाय थे जो एक-दूसरे के बहुत करीब थे और कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन विभाजन के बाद प्रेम, सद्भाव और भाईचारे जैसी भावनाएं नाराजगी, अविश्वास और संदेह में बदल गई थीं। विभाजन के लगभग चार दशक बाद राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद ने तो जैसे दोनों समाजों के बीच विभाजन की खाई को और चौड़ा कर दिया। हालांकि मुस्लिम नेता इसे सद्भाव बहाल करने के लिए दूसरे ऐतिहासिक अवसर के रूप में ले सकते थे। मगर ऐसा नहीं हुआ। बेहतर होता कि उन्हें शुरू में ही मंदिर निर्माण के प्रस्ताव को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर मस्जिद को स्वयं स्थानांतरित करने का सुझाव देना चाहिए था, लेकिन ऐसा सोच पाना जैसे उनकी बुद्धिमता के परे था।

इस्लामिक देशों में ऐसे पर्याप्त उदाहरण हैं जहां मस्जिदों को स्थानांतरित कर दिया गया है। मुस्लिम देश इस फॉर्मूले को पहले ही अपना चुके थे जो अपनी अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने यहां स्थित मस्जिदों को स्थानांतरित कर रहे थे। धर्म एक ऐसा अनुशासन है जो अपने अनुयायियों को समाज का एक शांतिपूर्ण सदस्य बनने का संदेश देता है, लेकिन इसके विपरीत धर्म को हमेशा एक विभाजनकारी शक्ति के रूप में देखा गया। मैने यह बात कुछ वर्ष पहले भी कही थी कि भारतीय मुस्लिम नेतृत्व समूचे अयोध्या प्रकरण में मुस्लिम समुदाय के विचारों को एक सकारात्मक ढांचा नहीं दे पाया। समुदाय के नेताओं को अतीत से बाहर आकर देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी। इसके बजाय वे नकारात्मक भावनाओं में जकड़े रहे और अपने दिलों में नाराजगी को रखते हुए अपनी संपूर्ण शक्ति को नकारात्मक दिशा में लगाते रहे। एक राष्ट्र अपनी संस्कृति, समाज, आस्था और इतिहास का एक सम्मिश्रण होता है। संस्कृति और इतिहास का संरक्षण और किसी धर्म या आस्था में विश्वास किसी भी समाज के अस्तित्व के दो अलग-अलग पहलू हैं।

उदाहरण के लिए अरब देशों ने अपने इतिहास को पुनर्स्थापित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से भारी निवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया है। मैं एक बार संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में एक बहु-सांस्कृतिक कार्यक्रम में गया था जहां मैंने मिस्र के हॉल का दौरा किया था। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था कि एक मुस्लिम देश होने के बावजूद मिस्र अपनी इस्लाम से पूर्व की संस्कृति को विश्व के सामने लाने में बिल्कुल पीछे नहीं था, बल्कि वह इस्लाम पूर्व की संस्कृति को अपना अभिन्न अंग मानता है। यह हमारे लिए भी एक सीख थी। मिस्र का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। 'मुस्लिम ब्रदरहुड' जैसा कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन मिस्र की जमीन पर ही पनपा है, लेकिन ऐसा हिंसक संगठन भी मिस्र को अपने इतिहास एवं संस्कृति का सम्मान करने से नहीं रोक पाया। भारतीय मुसलमानों के लिए भी यह जरूरी है कि वे इस देश का नागरिक होने के कारण यहां के विकास और भारत की प्राचीन संस्कृति के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाएं। भारत हमेशा से आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान का जन्मस्थान रहा है। एक भारतीय के रूप में हमारे लिए आवश्यक है कि हम स्वयं को बेहतर बनाते हुए एक-दूसरे की आस्थाओं का सम्मान भी करें।

मुस्लिम समुदाय के चंद नेताओं ने न सिर्फ सामाजिक ताने-बाने को, बल्कि इस भावनात्मक मुद्दे पर आम आदमी की भावनाओं को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान समय में भारत के मुस्लिम युवाओं के लिए अब बहुत आवश्यक हो गया है कि वे समुदाय के इन नेताओं का अंधानुकरण बिल्कुल न करें। उनके लिए जरूरी है कि वे अपनी सोच और ताकत को देश निर्माण के सकारात्मक कार्यों में लगाएं। मध्यकालीन यूरोप में जब धार्मिक व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक उत्पीड़न अपने चरम पर था और इतिहास को धीरे-धीरे मिटाया जा रहा था तब वहां चंद लोगों ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन छेड़ा जिसे विश्व 'पुनर्जागरण' के नाम से जानता है। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने न सिर्फ उनके जीवन को, बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी।

पुनर्जागरण ने मानवता को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं, जो केवल एक समाज या एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त मानवजाति तक पहुंचा है। पुनर्जागरण ने यूरोपीय लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जो लोग स्वयं अंधकार के दलदल में धंस चुके थे, उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति से पूरी दुनिया की खोज कर डाली। भारतीय मुस्लिम समुदाय को आज एक ऐसे ही बौद्धिक पुनर्जागरण की जरूरत है, ताकि वे दशकों से फंसे पूर्वाग्रहों की गहराइयों से बाहर निकल सकें, लेकिन इस तरह के आंदोलन की शुरुआत तब होती है जब हम जानते और मानते हैं कि अतीत में हमसे क्या गलतियां हुई हैं। कोई भी व्यक्ति या समाज इतिहास में वापस जाकर उसे दोबारा नहीं लिख सकता है, लेकिन एक कार्य हम सब निश्चित रूप से कर सकते हैं। और वह है कि हम इतिहास से सबक लें, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में कामयाब हो सकें। एक राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन उसके लोग होते हैं। यह स्वाभाविक है कि किसी भी राष्ट्र को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए वहां के नागरिक अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें।

(लेखक इस्लामिक विषयों के जानकार हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### संगति

सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को किसी न किसी के साथ की आवश्यकता जरूर होती है और यही संगति उसके व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है। संगति का प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति से जहां व्यक्ति यश एवं कीर्ति कमाता है, वहीं बुरी संगति उसके पतन का कारण बनती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसकी संगति से ही चल जाता है। कहते भी हैं कि किसी व्यक्ति का आचरण-व्यवहार जानना हो तो उसके मित्रों का आचरण जान लो। यानी जिस व्यक्ति के मित्र अच्छे आचरण वाले होंगे, वह वैसे ही आचरण को आत्मसात करेगा। कोई भी इंसान अपनी संगति से ही जाना-पहचाना जाता है। यदि हम समाज के अच्छे लोगों के साथ उठेंगे-बैठेंगे तो हमारी तुलना उनके साथ ही की जाएगी और यदि हम दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का साथ लेंगे तो हम उनकी तरह बन जाएंगे। व्यक्ति पर संगति का असर जाने-अनजाने में पड़ ही जाता है। कोई लाख कोशिश कर ले, वह इससे बच ही नहीं सकता। काजल की कोठरी में जाने के बाद कालिख लग ही जाती है। ऐसे में प्रत्येक मनुष्य को विवेक प्राप्त करने के लिए अच्छी संगति को अपनाना चाहिए।

असल में मूलरूप से मनुष्य के विचार और कर्म को उसके संस्कार एवं परिवेश ही दिशा देते हैं। यदि उसे अच्छे संस्कार और स्वच्छ परिवेश मिलते हैं तो वह कल्याण के मार्ग पर चलता है। यदि वह दूषित परिवेश में रहता है तो उसके कार्य भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में सर्वप्रथम व्यक्ति को अपनी इच्छा-कामना को नियंत्रण में रखने के लिए अपनी संगति सुधारनी चाहिए। यदि मनुष्य अपनी संगति सुधार ले तो उसका पूरा जीवन सुधर जाएगा। संगति व्यक्ति को स्वाभिमानी और उसे कठिन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। संगति का असर इस तरह होता है कि सज्जनों की संगति से दुर्जन भी सज्जन बन जाता है। यानी व्यक्ति योगी के साथ योगी और भोगी के साथ भोगी बन जाता है।

आचार्य अनिल वत्स

# मेल-मिलाप बढ़ाने वाला फैसला

सुशील कुमार सिंह

**अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश में धार्मिक मेल-मिलाप बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा**

जब न्याय समाजशास्त्र और धर्मशास्त्र के समुचित समिश्रण के साथ एकजुटता के मार्ग से गुजरता है तो इतिहास बनना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले में आया सुप्रीम फैसला हिंदू-मुस्लिम रिश्तों की तुरपाई करते हुए लोगों के बीच जिस सद्भावना के साथ उतारा गया उसे देखते हुए कह सकते हैं कि देश को अपेक्षा भी कुछ ऐसी ही थी। न्यायालय का यह फैसला देश को एकजुट करने का काम करेगा। गौरतलब है कि 9 नवंबर, 2019 की तारीख, इतिहास में दर्ज एक ऐसा साक्ष्य है जो सदियों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। सैकड़ों वर्ष पुराने मामले और दशकों से चल रहे विवाद को शीर्ष अदालत ने जड़ से समाप्त कर दिया। जाहिर है अब मंदिर निर्माण का न केवल रास्ता साफ हो गया है, बल्कि मस्जिद निर्माण के लिए अलग से जमीन आवंटित करने का निर्णय धार्मिक मेलमिलाप का बड़ा उदाहरण भी है।

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस के इतिहास पर एक नजर डालें तो पड़ताल बताती है कि जिस स्थान पर 1528 में मस्जिद का निर्माण हुआ था। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है, जिसे लेकर विवाद गहराया और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। साल 1859 में ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बड़ी बाड़ खड़ी करके अंदर और बाहर के परिसर में हिंदू और मुस्लिम पक्ष को अलग-अलग प्रार्थना करने की इजाजत दी। दशक बीतते गए और मामला 1885 में पहली बार तब अदालत पहुंचा जब महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट से बाबरी मस्जिद के पास ही राम मंदिर निर्माण की इजाजत मांगी, तब देश औपनिवेशिक सत्ता के अधीन था। आजादी के बाद 23 दिसंबर, 1949 में लगभग 50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर जैसे कि कहा जाता है, भगवान राम की मूर्ति रख दी। इसके बाद उस स्थान पर हिंदू समुदाय के लोग नियमित पूजा करने लगे और इसी के साथ मुसलमानों ने यहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया। सिलसिलेवार तरीके से मामला आगे बढ़ता रहा, मंदिर निर्माण को लेकर जब-तब कई प्रयास भी हुए। इसी दौरान बाबरी मस्जिद 1992 में गिरा दी गई। जुलाई 2009 में लिब्राहन आयोग ने 17 साल बाद रिपोर्ट सौंपी। 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया और विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांट दिया गया। जिसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड, जबकि तीसरा निर्मोही अखड़ा को देने का निर्णय दिया। अब शीर्ष अदालत ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया है जो अंतिम और अटल सत्य है, जिसका इंतजार देश की जनता कर रही थी। खास बात यह है कि इस निर्णय को लेकर देश भी एकजुटता दिखा रहा है। सियासी तौर पर भी सभी दल इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। यह भारत की विभिन्नता में एकता का ऐसा प्रतीक है, जिसे आज दुनिया एक बार फिर से समझने के लिए मजबूर हो रही होगी।

(लेखक वाईएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक हैं)

## मेलबाक्स

### दूर हुआ विवाद

नया इतिहास लिखने वाला फैसला शीर्षक से लिखे अपने आलेख में संजय गुप्त ने जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का समग्र विश्लेषण करते हुए देश के लिए आगे की राह सुझाई है। उल्लेखनीय है कि त्रेता युग के राम को केवल चौदह वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा था, लेकिन कलियुग में तो उन्हें लगभग पांच सौ वर्षों का वनवास भोगना पड़ा, परंतु जैसा कि कहा गया है 'हारो न हिम्मत, बिसारो न राम को' तो राम भक्तों ने भी अपने आराध्य के लिए संघर्ष कभी छोड़ा नहीं। तब भी नहीं जब देश में मुगल अथवा ब्रिटिश आक्रांताओं का शासन था और तब भी नहीं जब आजाद भारत में वामपंथी इतिहासकारों द्वारा ऐतिहासिक सच्चाई को झुठलाने की तमाम कोशिशें की गईं। अंततः सदियों के उनके संघर्ष तथा ऐतिहासिक साक्ष्यों के आलोक में उन्हें राम जन्मभूमि के अंदर और बाहर का अहाता यानी पूरी जमीन मंदिर निर्माण के लिए मिल गई। माननीय न्यायालय का यह निर्णय एकतरफा नहीं है। उसने इस मामले का सौहार्दपूर्ण पटाक्षेप करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी पांच एकड़ भूमि देने का आदेश सरकार को दिया है, ताकि वह वहां पर मुस्लिम समाज के लिए मस्जिद का निर्माण कर सके। फैसले को सुनकर कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी की याद आ गई। माननीय न्यायाधीशों ने इस अभूतपूर्व फैसले से 1528 और फिर 1992 में दो अलग-अलग पक्ष के द्वारा की गई गलतियों को एक साथ दुरुस्त कर दिया है। निःसंदेह उन्होंने न्याय सुनिश्चित करने के अपने दायित्व का पूरे मनोयोग से निर्वहन किया है। सभी जीत गए, कोई न हारा। यहां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वह पंक्ति बरबस ही याद आ रही है, 'प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जनम हमार सुफल भा आजू।'

चंदन कुमार, देवघर

### अब सिर्फ सौहार्द की जरूरत

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला दो समुदायों के बीच सौहार्द स्थापित करने की दिशा में अच्छा कदम रहा। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी फैसले का सम्मान करने की बात की। विकास के मुद्दे को लेकर देश को आगे बढ़ाने की बात पर सहमति बनती नजर आई। इस बीच ओवैसी का बयान थोड़ा दुखदायी था। ऐसे वक्त में सभी को एकता की बात करनी चाहिए। यह भारत देश के प्रजातंत्र एवं न्याय प्रणाली की महानता है। हमारी न्याय व्यवस्था में देर है अंधेर नहीं है। आज भारत वर्ष को सौहार्द का एक नया अध्याय शुरू करने की जरूरत है न की आने वाली नस्लों को आधे अधूरे तथ्य बताकर भड़काने की।

udai.srivastava@rediffmail.com

### सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह ऐतिहासिक था। यह फैसला ना तो हिंदूवादी नजर से देखा जाना चाहिए और ना ही मुस्लिमवादी नजरिए से, यह किसी धर्म विशेष के लिए फैसला नहीं है, बल्कि यह तो भारत का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए सभी पक्षों का ध्यान रखा है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विवादित स्थल पर रामलला मौजूद थे, वहीं मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन देने की बात कही, भारत में विभिन्न धर्मों का जन्म एवं विभिन्न संस्कृतियों का जन्म हुआ है और सभी धर्म एक साथ आगे बढ़े सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष का भी पूरी तरह से ध्यान रखा। श्री रामचंद्र जी सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं और अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना भारतीय संस्कृति की जीत मानी जाएगी। मुस्लिम समाज की संतुष्टि के लिए भी एक मस्जिद बनाने की बात कही गई है वैसे भी विवादित स्थल पर मस्जिद बनना उचित नहीं होता, क्योंकि विवादित स्थल पर नमाज अदा नहीं की जाती है। हमें तारीफ करनी होगी भारतीय जनमानस की भी, क्योंकि इस फैसले को सभी पक्षों ने आपसी सौहार्द पूर्ण से स्वीकार किया। इसके साथ ही आपसी भाईचारा का संदेश देते हुए भारत की धर्मनिरपेक्षता की जड़ों को और अधिक मजबूत किया। अयोध्या में राम मंदिर बनना उन लोगों के लिए भी कड़ा संदेश जाएगा जो इसको सांप्रदायिक नजर से देख रहे हैं।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

**इस स्तंभ** में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

**अपने पत्र इस पते पर भेजें :**
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।